

प्रेषक,

मुख्य सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन  
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
3. समस्त सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

यू.एस.डी.एम.ए.

देहरादून, 16 फरवरी, 2022

विषय: कोविड-19 के New Variant 'Omicron' के नियंत्रण हेतु दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2021 तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या-40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 27 जनवरी, 2022 के प्रावधानों का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी अपने आदेश संख्या: 948/USDMA/792 (2020), दिनांक 31 जनवरी, 2022 में वर्तमान में राज्य में कोविड संक्रमण की दरों में कमी होने के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित संशोधन किया जा रहा है:-

1. राज्य में Night Curfew को समाप्त किया जाता है।
2. राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल, स्पोर्ट्स, सैलून, थियेटर, ऑडिटोरियम, सभा कक्ष (Meeting Hall) आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए अपनी क्षमता के साथ खुलेंगे।
3. राज्य में स्वीमिंग पूल/वाटर पार्क 28 फरवरी, 2022 तक बन्द रहेंगे।
4. राज्य में स्थित खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए अपनी क्षमता के साथ खोले जायेंगे।
5. समस्त सामाजिक/ खेल गतिविधियाँ/ मनोरंजन/विवाह समारोह/सांस्कृतिक समारोह का आयोजन स्थल की पूर्ण क्षमता के साथ व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जायेगा।
6. राजनैतिक रैली/धरना प्रदर्शन की दिनांक 28 फरवरी, 2022 तक अनुमति नहीं होगी।
7. होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को अपनी क्षमता एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत Dining के संचालन के लिए अनुमति होगी।

8. जो गतिविधियाँ, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों में प्रतिबन्धित हैं, उक्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति नहीं होगी।
9. राज्य के समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालय (कक्षा-1 से 12 तक), विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा जारी मानक प्रचलन विधि पत्रांक संख्या-27/XXIV-B-5/2021-03(01)/2020 दिनांक 28.01.2022 एवं संख्या-30/XXIV-B-5/2021-03(01)/2020 दिनांक 04.02.2022 (संलग्नक-1) के अनुसार संचालन किया जायेगा एवं सम्बन्धितों द्वारा उक्त मानक प्रचलन विधि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. राज्य में सभी आंगनबाड़ी केन्द्र दिनांक 01 मार्च, 2022 से खुलेंगे। इस संदर्भ में विस्तृत दिशा-निर्देश महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग द्वारा पृथक से जारी किया जायेगा।
11. भारत सरकार एवं राज्य सरकार की निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी।
12. सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के अनुसार राज्य के समस्त कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।
13. **COVID Appropriate Behaviour/Sanitization:** समस्त सार्वजनिक स्थानों, पर्यटक स्थलों, बाजार, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, मण्डी, शॉपिंग मॉल एवं अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर COVID Appropriate Behaviour जैसे कि सामाजिक दूरी, मास्क पहनना एवं हाथों को Sanitize करने आदि का अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
14. **Vaccination:** राज्य में सभी पात्र व्यक्तियों का Covid Vaccination-Double Dose को शत प्रतिशत आच्छादित करने की कार्यवाही की जायेगी।

**15. General Directives for COVID-19 Management :**

राज्य में COVID-19 प्रबंधन के निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- i. सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
- ii. सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 6 फिट की दूरी बनाए रखना होगा।
- iii. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान होगा।
- iv. सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित होगा।

**16. कमजोर व संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा :**

निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को आवश्यक और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर जाने की सलाह दी जाती है :-

- i. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति।
- ii. Persons with co-morbidities.
- iii. गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं।

17. दंड के प्रावधान :

- i. COVID प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (Section 51 to 60), महामारी अधिनियम 1897 एवं IPC की धारा 188 प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

अतः उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

उक्त आदेश दिनांक 16 फरवरी, 2022 से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

संलग्नक:—यथोक्त।

भवदीय,



(डॉ० सुखबीर सिंह सन्धु)


मुख्य सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा. आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
5. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
6. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद), विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रीगण को मा. मंत्रीगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
8. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित पत्रावली।

आज्ञा से,



(शैलेश बगौली)

सचिव

प्रेषक

जे०एल० शर्मा,  
सयुक्त सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,  
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड  
देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-5

देहरादून: दिनांक: 28 जनवरी, 2022

विषय:- कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डों के कक्षा कक्षा 10, 11 एवं 12 के विद्यालयों में भौतिक रूप से पठन-पाठन पुनः प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 17/XXIV-B-5/2021-03(01)2020 दिनांक 16 जनवरी, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कोविड-19 के New Variant "Omicron" के संक्रमण के दृष्टिगत राज्य के अन्तर्गत संचालित कक्षा-12 तक की सभी शिक्षण संस्थानों (शासकीय/अशासकीय(सहायता प्राप्त)/निजी शिक्षण संस्थान) के भौतिक रूप से संचालन अग्रेत्तर आदेशों तक बंद करते हुये ऑनलाईन माध्यम से शिक्षण कार्य सम्पादित किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये थे।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के आदेश संख्या 946/USDMA/792(2020)TC-2 दिनांक 27 जनवरी, 2022 के क्रम में राज्य के अन्तर्गत संचालित शिक्षण संस्थानों (शासकीय/अशासकीय(सहायता प्राप्त)/निजी शिक्षण संस्थान) में कक्षा 10, 11 एवं 12 की कक्षाओं को दिनांक 31 जनवरी 2022 से भौतिक रूप से संचालित करते हुये शिक्षण कार्य सम्पादित किया जाना सुनिश्चित करें तथा कक्षा 01 से 09 तक की कक्षाओं का भौतिक संचालन पूर्व की भाँति बंद रखते हुये अग्रेत्तर आदेशों तक ऑनलाईन माध्यम से शिक्षण कार्य सुनिश्चित करें।

इस सम्बन्ध में पूर्व में विद्यालयों के संचालन हेतु शासनादेश संख्या 463/XXIV-B-5/2020-3(1)2020 दिनांक 24 अक्टूबर, 2020 तथा समय-समय पर यथा सशोधित आदेशों द्वारा निर्गत Standard Operating Procedure(SOP) का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(जे०एल० शर्मा)  
सयुक्त सचिव।

संख्या- 27 (1)/XXIV-B-5/2021-03(1)2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा० मंत्री विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

A. D. D. D.

5. सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त उपसचिव/अनुसचिव/अनुभाग अधिकारी, माध्यमिक/वेसिक शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, देहरादून।
10. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
11. निदेशक अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, ननूरखेडा देहरादून।
12. सचिव, विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर बोर्ड, नैनीताल।
13. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड।
14. महानिदेशक, लोक सूचना एवं सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
15. सचिव, सी०बी०एस०ई० बोर्ड, नई दिल्ली।
16. सचिव, आई०सी०एस०ई० बोर्ड नई दिल्ली।
17. उपायुक्त केन्द्रीय विद्यालय संगठन, सालावाला, हाथीबडकला, देहरादून।
18. क्षेत्रीय अधिकारी, सी०बी०एस०ई० कौलागढ रोड, देहरादून।
19. अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढवाल/कुमाऊँ मण्डल।
20. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
21. विभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से,  


(जे०एल० शर्मा)  
संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

आर० मीनाक्षी सुन्दरम्  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. महानिदेशक,  
विद्यालयी शिक्षा  
उत्तराखण्ड।

2. निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा/  
अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-5

देहरादून : दिनांक : 04 फरवरी, 2022

विषय: राज्य के समस्त शिक्षा बोर्डों के समस्त शिक्षण संस्थानों (शासकीय/अशासकीय (सहायता प्राप्त)/निजी शिक्षण संस्थानों) में भौतिक रूप से पठन-पाठन प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कोविड-19 के new variant "omricon" के संक्रमण के प्रभावों में हो रहे कमी के दृष्टिगत राज्य के अन्तर्गत संचालित समस्त शिक्षा बोर्डों के शिक्षण संस्थानों (शासकीय/अशासकीय(सहायता प्राप्त)/निजी शिक्षण संस्थान) में कक्षा 10, 11, एवं 12 की कक्षाओं की भौतिक रूप से संचालन की अनुमति पूर्व में शासनादेश संख्या-27 दिनांक 28 जनवरी 2022 द्वारा प्रदान की जा चुकी है यद्यपि कक्षा 01 से 09 तक की कक्षाओं का शिक्षण कार्य online माध्यम से ही सम्पन्न किया जा रहा है।

2. उक्त के क्रम में छात्र-छात्राओं के शैक्षिक हितों के दृष्टिगत शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त कक्षा 01 से 09 तक के समस्त शिक्षा बोर्डों के शिक्षण संस्थानों को भी भौतिक रूप दिनांक 07 फरवरी 2022 से पठन-पाठन हेतु खोले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

3. राज्य के समस्त शिक्षा बोर्डों/संस्थाओं के समस्त कक्षाओं के भौतिक रूप से संचालन के दौरान निम्नलिखित दिशा-निर्देशों/मानक संचालन प्रक्रिया (sop) का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा:-

1. विद्यालयों का संचालन हाईब्रिड मोड (Hybrid Mode) में किया जायेगा अर्थात् भौतिक शिक्षण के साथ-साथ ऑनलाईन शिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। अध्यापन कार्य के दौरान शिक्षक मोबाईल या अन्य उपकरण (Devices) से कक्षा शिक्षण कार्य को ऑनलाईन लाइव प्रसारित करेंगे, जिससे ऐसे छात्र-छात्रायें जो विद्यालय में भौतिक रूप से उपस्थित नहीं हो पा रहे हों, वे घर पर ही रह कर कक्षा शिक्षण से जुड़ सकें।

2. बोर्डिंग/डे-बोर्डिंग विद्यालय यह भी सुनिश्चित करें कि समस्त शिक्षक, कर्मचारी एवं समस्त छात्र-छात्राओं को विधिवत मास्क पहनने के उपरान्त ही विद्यालय/कक्षा-कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाय। यदि कोई छात्र छात्रायें बिना मास्क के विद्यालय में उपस्थित होते हैं, तो विद्यालय ऐसे छात्र छात्राओं के लिये मास्क की व्यवस्था करें। समस्त शिक्षक कर्मचारी तथा छात्र-छात्रायें विद्यालय अवधि में तथा आवासीय परिसर/घर से स्कूल आने तथा स्कूल से आवासीय परिसर/घर जाते समय मास्क का उचित ढग से उपयोग करेंगे। कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग के तहत सुनिश्चित की जाये।
3. प्रत्येक विद्यालय में कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत सम्बन्धित विद्यालय द्वारा एक नोडल अधिकारी नामित किया जाय, जो सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोविड प्रोटोकाल सम्बन्धी दिशा-निर्देशों के अनुपालन हेतु उत्तरदायी होगा। यदि विद्यालय के छात्रों, अध्यापकों एवं अन्य स्टाफ के मध्य संक्रमण की स्थिति उत्पन्न होती है, तो ससमय जिला प्रशासन/स्वास्थ्य विभाग को सूचित किये जाने की जिम्मेदारी सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रबन्धक एवं नोडल अधिकारी की होगी। यदि किसी विद्यार्थी या शिक्षक या अन्य कार्मिक में खॉसी, जुकाम या बुखार के लक्षण प्रतीत होते हैं तो उन्हें प्राथमिक उपचार देते हुए आवासीय परिसर में आईसोलेशन कक्ष की व्यवस्था की जाय तथा इसकी सूचना जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग एवं सम्बन्धित छात्र-छात्रा के अभिभावक को दी जाय।
4. विद्यालय खोले जाने से पूर्व समस्त आवासीय परिसर के आवासीय कक्ष, किचन, डायनिंग हॉल, वाशरूम, पेयजल स्थल, वाचनालय, पुस्तकालय तथा विद्यालय परिसर में कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, शौचालय, पेयजल स्थल आदि ऐसे स्थलों जहाँ पर छात्र-छात्राओं का भौतिक रूप से आवागमन होता हो, का भली भॉति सेनेटाईज कर लिया जाये। विद्यालयों में सेनेटाईजर, हैण्डवाश, थर्मलस्कैनिंग एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय तथा छात्र-छात्राओं को हैण्ड सेनेटाईज/थर्मल स्कैनिंग कराने के पश्चात ही विद्यालय में प्रवेश दिया जाय। विद्यालय के वाशरूम में लिक्विड एन्टीसैप्टिक हैंडवाश की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाय। शिक्षण संस्थाओं में बच्चों के पीने के पानी का स्थल भी भली भॉति स्वच्छ रखते हुये पानी की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखा जाय। ध्यान रहे कि ऐसे स्थलों पर छात्र-छात्रायें एक साथ एकत्रित न हों। इस हेतु आवासीय परिसर तथा विद्यालय परिसर में समय अन्तराल नियोजित किया जाय।
5. बोर्डिंग/डे-बोर्डिंग विद्यालय में आवासीय परिसर में निवास करने वाले शिक्षकों/अन्य कार्मिकों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का प्रमाण पत्र अथवा अधिकतम 48 घण्टे पूर्व की प्राप्त आर0टी0पी0सी0आर0 नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर ही विद्यालय में प्रवेश की अनुमति दी जाय।

A. D. Jivals

6. बोर्डिंग/डे-बोर्डिंग विद्यालय में छात्र-छात्राओं को अभिभावकों की सहमति के बाद ही विद्यालय में भौतिक रूप से उपस्थिति होने की अनुमति दी जाय तथा विद्यालय खुलने के तीन दिन के अन्तर्गत इस आशय की सहमति प्राप्त कर ली जाय। विद्यालय में भौतिक रूप में उपस्थित होने के लिए किसी भी छात्र-छात्रा को वाध्य न किया जाय।
7. आवासीय परिसर, विद्यालय/कक्षा-कक्षों में प्रवेश एवं छुट्टी के समय सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन हो सके इसके लिए सभी कक्षाओं के छात्र-छात्राओं को एक साथ आने-जाने की अनुमति न दी जाय तथा इसमें समयान्तराल निर्धारित किया जाये।
8. समस्त विद्यालय प्रबन्धन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि बच्चों से शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों से सम्बन्धित शुल्क किसी भी दशा में न लिया जाय और न ही प्रथम चरण में पाठ्येत्तर गतिविधियों का आयोजन किया जाय।
9. बोर्डिंग/डे-बोर्डिंग विद्यालय द्वारा आवागमन हेतु निजी बसों का संचालन करते समय यह ध्यान रखा जाय कि छात्र-छात्राएँ, निजी वाहनों के चालक/परिचालक/सहायिका भी सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें तथा विधिवत मास्क एवं सैनेटाईजर का प्रयोग करें। ऐसे वाहनों के सेनेटाइजेशन पर विशेष ध्यान दिया जाय तथा वाहन चालक एवं परिचालक का वैक्सिनेशन भी सुनिश्चित कराया जाय। ऐसी शिक्षण संस्थाएँ जिसमें छात्र-छात्राएँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हुये विद्यालय में आते हैं, उनके पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बच्चों को बिठाने तथा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को समय-समय पर सैनेटाईज करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
10. विद्यालय परिसर में समस्त विद्यालय प्रबन्धन के सदस्य, प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, समस्त शिक्षक, कर्मचारी, मैट्रन, आवासीय परिसर के समस्त स्टाँफ तथा विद्यालय में अन्य सेवाओं से जुड़े हुये समस्त कर्मचारियों के यथासम्भव Vaccination की व्यवस्था की जाय। यदि विद्यालय परिसर में किसी भी शिक्षक/सहयोगी स्टाँफ का Vaccination नहीं हुआ है, तो विद्यालय प्रधानाचार्य/प्रबन्धक द्वारा स्वास्थ्य विभाग/जिला प्रशासन के सहयोग से प्राथमिकता के आधार पर vaccination कराया जाय।
11. कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में भौतिक रूप से पठन-पाठन के साथ-साथ संबंधित विद्यालय के शिक्षक ऑनलाईन पठन-पाठन हेतु अभिभावकों/आस पड़ोस में उपलब्ध पारिवारिक सदस्यों के स्मार्ट फोन या अन्य उपकरण (Devices) की A. Orwal

उपलब्धता के अनुसार ऑनलाईन शिक्षण का समय निर्धारित कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों के पास ऑनलाईन पठन-पाठन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनके लिये ऑफलाइन अधिगम सामग्री घर पर उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय स्तर पर विशेष कार्य-योजना बनाई जाए जिससे कोई भी छात्र-छात्रा शिक्षण अधिगम से वंचित न रह जाय। सभी शिक्षण संस्थान वरीयता के आधार पर ऐसे छात्र-छात्राओं को गतिविधि पुस्तिकाएँ/वर्कशीट उपलब्ध करायेँ जो कि अभिभावकों के माध्यम से या विद्यालय कर्मचारियों के माध्यम से उपलब्ध करायी जा सकती हैं।

12. विद्यालय में प्रार्थना सभा, बाल सभा, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा अन्य सामुहिक गतिविधियाँ, जिसमें अधिक छात्र-छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया जाता है जिनसे कोविड-19 संक्रमण की अधिक सम्भावना होती है, को अग्रिम आदेशों तक स्थगित रखा गया है। किन्तु अन्य गतिविधियाँ जिसमें कम से कम छात्र-छात्राओं का प्रतिभाग होता है, को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए संचालित किया जा सकता है।
13. विद्यालयों को भौतिक रूप से खोले जाने का निर्णय बच्चों के अधिगम स्तर में सुधार तथा सीखने के अवरोधों को दूर करने के दृष्टिगत लिया गया है। चूंकि बोर्डिंग/ डे-बोर्डिंग विद्यालयों में बच्चों का ठहराव अधिक समय के लिए होता है इसलिए बच्चों की सुरक्षा से सम्बन्धित यथावश्यक सभी उपाय कर लिए जाय। साथ ही विद्यालय में बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों का आवागमन भी सीमित रखा जाय तथा इस सम्बन्ध में कोविड प्रोटोकाल का पालन किया जाय।
14. विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना की वर्तमान व्यवस्था जिसके अन्तर्गत कि बच्चों को खाद्यान/मध्याह्न भोजन सामग्री वितरित की जा रही है, को यथावत रखते हुये विद्यालयों में पका-पकाया भोजन अग्रिम आदेशों तक उपलब्ध न कराया जाये। परन्तु भोजन माता नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित होंगी तथा छात्र छात्राओं के सैनेटाईजेशन व अन्य कोविड प्रोटोकाल के पालन में संस्था का सहयोग करेंगी।
15. विद्यालय परिसर में छात्र-छात्राओं को लंच बाक्स अथवा भोज्य पदार्थ लाने की अनुमति प्रधानाचार्य/विद्यालय प्रबन्धन कोविड गाईडलाईन का अनुपालन कराने के दृष्टिगत अपने स्तर से निर्णय लेंगे।
16. मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर शिक्षण संस्थाओं में कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन करवाते हुये भौतिक कक्षा शिक्षण सुनिश्चित करवाने हेतु व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी व्यक्तिगत

A. D. W. K.

रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि विकास खण्ड के समस्त छात्र छात्राओं को ऑफलाईन / ऑनलाईन शिक्षण-अधिगम की सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके लिये वे प्रतिदिन शिक्षण संस्थाओं की मॉनिटरिंग करेंगे तथा रैंडम आधार पर ऑफलाईन / ऑनलाईन रूप से अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं से बातचीत भी करेंगे। खण्ड शिक्षा अधिकारी / उप शिक्षा अधिकारी प्रति सप्ताह शिक्षण कार्य की रिपोर्ट मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से एस0सी0ई0आर0टी0 को उपलब्ध करायेंगे।

17. महानिदेशक, निदेशक माध्यमिक शिक्षा एवं निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा अपने स्तर से अधीनस्थ स्तर पर उक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें तथा समय-समय पर विद्यालयों का औचक निरीक्षण सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,

(आर0 मीनूक्षी सुन्दरम)  
सचिव।

संख्या- 30 (1)/XXIV-B-5/2020-03(1)2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य, एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड।
4. सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. स्टॉफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
6. सचिव (प्रभारी), शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्तवत् उल्लिखित अवधि में राज्य स्तर पर विद्यालयों के सेनेटाइजेशन हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।
7. महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
8. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि विद्यालयों को कोविड प्रोटोकाल के अनुरूप संचालित किये जाने हेतु अपने स्तर से यथावश्यक निर्देश प्रसारित करें।
10. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ कि विद्यालय परिसर के बाहर एवं छात्र-छात्राओं के द्वारा उपयोग किये जाने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोविड प्रोटोकाल का पालन करायें।
11. अपर निदेशक, बेसिक / माध्यमिक, गढ़वाल / कुमाऊ मण्डल उत्तराखण्ड।
12. राज्य परियोजना निदेशक, शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड।
13. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर बोर्ड, नैनीताल।
14. सचिव, सी0बी0एस0ई, बोर्ड, नई दिल्ली।
15. सचिव, सी0आई0एस0ई0 बोर्ड, नई दिल्ली।

Adiwah